



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2016-श्रावण 28, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

ब्लाक नं. 2 शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.)

जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई, 2016

क्र. 04-02/195/यो. रूपां./2117.—यह कि केन्द्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीमूड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्च दाब विद्युत उपकेन्द्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेन्द्रों के बीच अति उच्च दाब लाइनों द्वारा अंतरसम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 400, 220 एवं 132 किलो वोल्ट पारेषण लाइनों एवं सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनाएं स्वीकृत की हैं.

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:—

(1) नाम:—ये परियोजनाएं 400, 220 व 132 किलो वोल्ट (के. वी.) लाइनों व सम्बन्धित कार्यों के निर्माण की परियोजनाएं कहलायेंगी.

(2) परियोजनाओं का विवरण:—परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लम्बाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:—

(I) 400 केवी के कार्य :

(i) 400 केवी पारेषण लाइनें :-

- सतना (पीजीसीआईएल)—बीना (पीजीसीआईएल) 400 केवी लाईन के एक सर्किट को प्रस्तावित 400 केवी उपकेन्द्र सागर से होकर ले जाने का लीलो कार्य, लम्बाई-35 कि. मी., अनुमानित लागत- 5862 लाख रु.
- 400 के. व्ही. उपकेन्द्र आष्टा से 400 के. व्ही. उपकेन्द्र उज्जैन तक 400 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-100 कि.मी., अनुमानित लागत- 16750 लाख रु.

3. 400 के.व्ही. उपकेन्द्र नागदा से 400 के. व्ही. उपकेन्द्र उज्जैन (प्रस्तावित) तक 400 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-65 कि.मी., अनुमानित लागत- 10849 लाख रु.
4. 765 के.व्ही. उपकेन्द्र इन्दौर (पीजीसीआईएल) से 400 के. व्ही. उपकेन्द्र उज्जैन (प्रस्तावित) तक 400 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-45 कि.मी., अनुमानित लागत- 7533 लाख रु.
5. 400 के.व्ही. उपकेन्द्र नागदा से 400 के. व्ही. उपकेन्द्र मंदसौर (प्रस्तावित) तक 400 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-100 कि.मी., अनुमानित लागत- 16720 लाख रु.
6. मालवा टी. पी. एस. (स्टेज-II)-पीथमपुर 400 के.व्ही. डीसीडीएस (क्वाड मूस) लाईन का कार्य, लम्बाई-160 कि.मी., अनुमानित लागत- 32000 लाख रु.
7. पीथमपुर-बदनावर 400 के.व्ही. डीसीडीएस (क्वाड मूस) लाईन का कार्य, लम्बाई-70 कि.मी., अनुमानित लागत- 14000 लाख रु.
8. 400 के.व्ही. उपकेन्द्र पीथमपुर में 4 नग फीडर बे एवं 2×125 एमवीएआर, 400 के. व्ही. लाईन रियेक्टर की स्थापना, अनुमानित लागत- 4000 लाख रु.

(II) 400 के. व्ही. उपकेन्द्र :

1. 220 केवी उपकेन्द्र सागर का उन्नयन कर 2×315 एमवीए क्षमता के नये 400 के. व्ही. उपकेन्द्र सागर की स्थापना एवं 1 नग 125 एमवीएआर, 400 के.व्ही. बस रियेक्टर की स्थापना, अनुमानित लागत- 8941 लाख रु.
2. उज्जैन में $2 \times 315 + 2 \times 160$ एमवीए क्षमता के नये 400 के. व्ही. उपकेन्द्र उज्जैन की स्थापना एवं 1 नग 125 एमवीएआर, 400 के.व्ही. बस रियेक्टर की स्थापना, अनुमानित लागत- 16272 लाख रु.
3. मंदसौर में $2 \times 315 + 2 \times 160$ एमवीए क्षमता के नये 400 के. व्ही. उपकेन्द्र मंदसौर की स्थापना एवं 1 नग 125 एमवीएआर, 400 के.व्ही. बस रियेक्टर की स्थापना, अनुमानित लागत- 13497 लाख रु.

(II) 220 के.व्ही के कार्य :

(i) 220 के.व्ही पारेषण लाइनें :

1. जुलवानिया 400 के. व्ही. उपकेन्द्र से सेंधवा 220 के.व्ही. उपकेन्द्र तक, 220 के.व्ही. डबल सर्किट लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-35 कि. मी., अनुमानित लागत- 2641 लाख रु.
2. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र बैतूल से 220 के.व्ही. उपकेन्द्र गुड़गाँव तक, 220 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-35 कि. मी., अनुमानित लागत- 2641 लाख रु.
3. 400 के.व्ही. उपकेन्द्र बदनावर से 220 के.व्ही. उपकेन्द्र कानवन (प्रस्तावित) तक, 220 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत- 1503 लाख रु.
4. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र कानवन से 220 के. व्ही. उपकेन्द्र धार तक, 220 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-35 कि. मी., अनुमानित लागत- 2641 लाख रु.
5. 400 के. व्ही. उपकेन्द्र मंदसौर से 220 के. व्ही. उपकेन्द्र मारूत शक्ति पूल (प्रस्तावित) तक, 220 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-65 कि. मी., अनुमानित लागत- 4880 लाख रु.
6. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र नीमच से 400 के. व्ही. उपकेन्द्र रतनगढ़ (प्रस्तावित) तक, 220 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-65 कि. मी., अनुमानित लागत- 4882 लाख रु.
7. 400 के. व्ही. उपकेन्द्र सैलाना (प्रस्तावित) एवं 220 उपकेन्द्र रतलाम स्विचिंग के बीच 220 के. व्ही. लाईन का अंतरसम्पर्क कार्य, लम्बाई-25 कि.मी., अनुमानित लागत-1889 लाख रु.
8. रतलाम स्विचिंग-दालोदा 220 के.व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लम्बाई-72 कि.मी., अनुमानित लागत-1358 लाख रु.
9. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र जावरा (प्रस्तावित) के लिए रतलाम-दालोदा 220 के. व्ही. लाईन का लीलो कार्य, लम्बाई-15 कि.मी., अनुमानित लागत-1133 लाख रु.

10. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र राजगढ़ (व्यावरा) से 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सुसनेर (प्रस्तावित) तक, 220 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन का कार्य, लम्बाई-72 कि.मी., अनुमानित लागत-5395 लाख रु.
11. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र बडोड से 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सुसनेर (प्रस्तावित) तक, 220 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन का कार्य, लम्बाई-35 कि.मी., अनुमानित लागत-2641 लाख रु.
12. 400 के. व्ही. उपकेन्द्र उज्जैन (प्रस्तावित) से 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सुसनेर (प्रस्तावित) तक, 220 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन का कार्य, लम्बाई-100 कि.मी., अनुमानित लागत-7484 लाख रु.
13. उज्जैन-बडोड, 220 के. व्ही. एवं उज्जैन-नागदा 220 के. व्ही. लाईन के दोनों सर्किटों का प्रस्तावित 400 के. व्ही. उपकेन्द्र उज्जैन के लिए लीलो कार्य, लम्बाई-40 कि.मी., अनुमानित लागत-2997 लाख रु.
14. नागदा-नीमच, 220 के. व्ही. लाईन के दोनों सर्किटों का प्रस्तावित 400 के. व्ही. उपकेन्द्र मंदसौर के लिए लीलो कार्य, लम्बाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत-1503 लाख रु.
15. बडोड-कोटा-मोदक, 220 के. व्ही. लाईन के दोनों सर्किटों का प्रस्तावित 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सुवासरा के लिए लीलो कार्य, लम्बाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत-1495 लाख रु.
16. जैतपुरा-उज्जैन, 220 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन के दोनों सर्किटों का 765 के. व्ही. उपकेन्द्र इन्दौर पीजीसीआईएल के लिए लीलो कार्य, (2×डी.सी.) लम्बाई-10 कि.मी., अनुमानित लागत-1073.06 लाख रु.
17. दमोह-सागर, 220 के. व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का पीजीसीआईएल 400 के. व्ही. उपकेन्द्र दमोह के लिए लीलो कार्य, लम्बाई-1 कि.मी., अनुमानित लागत-214.26 लाख रु.
18. सतना-छतरपुर, 220 के. व्ही. लाईन के एक सर्किट का पीजीसीआईएल 400 के. व्ही. उपकेन्द्र सतना के लिए लीलो कार्य, लम्बाई-5 कि.मी., अनुमानित लागत-610.26 लाख रु.
19. नागदा-नीमच, 220 के. व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का 220 के. व्ही. उपकेन्द्र दालोदा के लिए लीलो कार्य, लम्बाई-12.20 कि.मी., अनुमानित लागत-1103.47 लाख रु.
20. इटारसी-होशंगाबाद, 220 के. व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का 400 के. व्ही. उपकेन्द्र इटारसी के लिए लीलो कार्य, लम्बाई-0.2 कि.मी., अनुमानित लागत-40.00 लाख रु.

(ii) 220 केवी उपकेन्द्र:

नये उपकेन्द्र की स्थापना :-

1. सेंधवा (जिला-बड़वानी) में 1×160+1×63 एमवीए क्षमता के नये 220 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-3908 लाख रु.
2. गुड़गाँव (जिला-बैतूल) में 1×160+1×63 एमवीए क्षमता के नये 220 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-3785 लाख रु.
3. कानवन (जिला-धार) में 1×160+1×63 एमवीए क्षमता के नये 220 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-4186 लाख रु.
4. प्रस्तावित 400 के. व्ही. उपकेन्द्र रतनगढ़ (जिला-नीमच) में 2×160+1×63 एमवीए क्षमता के नये 220 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-4859 लाख रु.
5. प्रस्तावित 400 के. व्ही. उपकेन्द्र सैलाना (जिला-रतलाम) में 2×160+1×63 एमवीए क्षमता के नये 220 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-4859 लाख रु.
6. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र जावरा (जिला रतलाम) का उन्नयन कर 2×160+1×40 एमवीए क्षमता के नये 220 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-3705 लाख रु.
7. सुसनेर (जिला-शाजापुर) में 2×160+1×63 एमवीए क्षमता के नये 220 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-5698 लाख रु.
8. सुवासरा (जिला-मंदसौर) में 2×160+1×63 एमवीए क्षमता के नये 220 के. व्ही. उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-5328 लाख रु.

(ii) अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना :

1. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र अमरकंटक (अनूपपुर) में 160 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-968 लाख रु.
2. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र देवास में 160 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1615 लाख रु.
3. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र छेगांव में 160 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1406 लाख रु.
4. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र दालोदा में 160 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1307 लाख रु.
5. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र हंडिया में 160 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1541 लाख रु.

क्षमता वृद्धि :-

1. इंदौर (साउथ जोन) में 120 एमवीए क्षमता के 220/132 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 160 एमवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना कर उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि, अनुमानित लागत-1028 लाख रु.

(III) 132 केवी के कार्य :**(i) 132 केवी पारेषण लाइनें .—**

1. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र सेंधवा एवं 132 के.व्ही. उपकेन्द्र सेंधवा के बीच 132 के.व्ही. लाईन का अंतरसम्पर्क कार्य, लम्बाई-10 कि.मी., अनुमानित लागत- 504 लाख रु.
2. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सेंधवा से 132 के.व्ही. उपकेन्द्र पांसेमल तक 132 के. व्ही. डबल सर्किट लाईन का कार्य, लम्बाई-30 कि. मी., अनुमानित लागत- 1487 लाख रु.
3. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र गुड़गाँव एवं 132 के. व्ही. उपकेन्द्र गुड़गाँव के बीच 132 के.व्ही. लाईन का अंतरसम्पर्क कार्य, लम्बाई-10 कि.मी., अनुमानित लागत- 504 लाख रु.
4. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र कानवन एवं 132 के. व्ही. उपकेन्द्र कानवन के बीच 132 के.व्ही. लाईन का अंतरसम्पर्क कार्य, लम्बाई-10 कि.मी., अनुमानित लागत- 504 लाख रु.
5. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र कानवन से 132 के. व्ही. उपकेन्द्र तीसगाँव तक, 132 के.व्ही. डबल सर्किट लाईन का कार्य, लम्बाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत- 993 लाख रु.
6. 132 के. व्ही. झाबुआ-मेघनगर, 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन के द्वितीय सर्किट का कार्य, लम्बाई-26 कि.मी., अनुमानित लागत- 299 लाख रु.
7. राजगढ़ (धार) 220-झाबुआ, 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन के द्वितीय सर्किट का कार्य, लम्बाई-48 कि.मी., अनुमानित लागत- 553 लाख रु.
8. राजगढ़ (धार) 220-पेटलावद, 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन के द्वितीय सर्किट का कार्य, लम्बाई-54 कि.मी., अनुमानित लागत- 622 लाख रु.
9. नीमच-मंदसौर 132 के. व्ही. लाईन के दोनों सर्किट का प्रस्तावित 400 के. व्ही. उपकेन्द्र मन्दसौर में लीलो कार्य, लम्बाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत- 993 लाख रु.
10. बडोड-सुवासरा, 132 के. व्ही. लाईन के दोनों सर्किटों का प्रस्तावित 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सुवासरा में लीलो कार्य, लम्बाई-10 कि.मी., अनुमानित लागत- 504 लाख रु.
11. प्रस्तावित 400 के. व्ही. उपकेन्द्र रतनगढ़ एवं 132 के. व्ही. उपकेन्द्र रतनगढ़ के बीच 132 के. व्ही. लाईन का अंतरसम्पर्क कार्य, लम्बाई-10 कि.मी., अनुमानित लागत- 504 लाख रु.
12. प्रस्तावित 400 के. व्ही. उपकेन्द्र सैलाना एवं 132 के. व्ही. उपकेन्द्र सैलाना के बीच 132 के. व्ही. लाईन का अंतरसम्पर्क कार्य, लम्बाई-25 कि.मी., अनुमानित लागत- 1256 लाख रु.

13. आलोट-सीतामऊ, 132 के. व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का कार्य, लम्बाई-40 कि.मी. अनुमानित लागत-481 लाख रु.
14. सीधी (220)-मऊगंज, 132 के. व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का कार्य, लम्बाई-46 कि.मी., अनुमानित लागत-530 लाख रु.
15. मैहर-अमरपाटन, 132 के. व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का कार्य, लम्बाई-26 कि.मी., अनुमानित लागत-299 लाख रु.
16. बिरसिंहपुर-शहडोल के 132 के. व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का कार्य, लम्बाई-40 कि.मी., अनुमानित लागत-461 लाख रु.
17. सुसनेर-जीरापुर के 132 के. व्ही. लाईन के दोनों सर्किटों का प्रस्तावित 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सुसनेर में लीलो कार्य, लम्बाई-20 कि.मी., अनुमानित लागत-993 लाख रु.
18. उज्जैन-तराना, 132 के. व्ही. लाईन के दोनों सर्किटों का प्रस्तावित 400 के. व्ही. उपकेन्द्र उज्जैन में लीलो कार्य, लम्बाई-10 कि.मी., अनुमानित लागत-504 लाख रु.
19. सुसनेर 220-नलखेड़ा, 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-25 कि.मी., अनुमानित लागत-1246 लाख रु.
20. आगर-माकडोन 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-30 कि.मी., अनुमानित लागत-1487 लाख रु.
21. आलोट-जरदा 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-25 कि.मी., अनुमानित लागत-1256 लाख रु.
22. सुसनेर-जीरापुर, 132 के. व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लम्बाई-32 कि.मी., अनुमानित लागत-368 लाख रु.
23. तराना-माकडोन, 132 के. व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लम्बाई-28 कि.मी., अनुमानित लागत-322 लाख रु.
24. नलखेड़ा-मोमन बड़ोदिया, 132 के. व्ही. के द्वितीय सर्किट लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-30 कि.मी., अनुमानित लागत-346 लाख रु.
25. आगर-सुसनेर 132 के. व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लम्बाई-35 कि.मी., अनुमानित लागत-403 लाख रु.
26. महीदपुर-जरदा, 132 के. व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लम्बाई-24 कि.मी., अनुमानित लागत-276 लाख रु.
27. आष्टा (220)-इच्छावर, 132 के. व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लम्बाई-35 कि.मी., अनुमानित लागत-403 लाख रु.
28. सबलगढ़ (220)-विजयपुर 132 के. व्ही. लाईन के द्वितीय सर्किट का निर्माण कार्य, लम्बाई-32 कि.मी., अनुमानित लागत-368 लाख रु.
29. टीकमगढ़ 132 के. व्ही.-बिजावर 132 के. व्ही. लाईन का 132 के. व्ही. उपकेन्द्र बड़ामलेहरा में लीलो कार्य, लम्बाई-2×1.14 कि.मी., अनुमानित लागत-117.85 लाख रु.
30. गांधीसागर/बडोड-सुवासरा/गरोठ, 132 के. व्ही. लाईन के दोनों सर्किटों का 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सुवासरा के लिए लीलो कार्य, लम्बाई-3 कि.मी., अनुमानित लागत-318.36 लाख रु.

(ii) अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना :

1. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र नलखेड़ा में 40 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-527 लाख रु.
2. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र विजयपुर में 40 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-545 लाख रु.
3. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र सेंधवा में 20 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-129 लाख रु.
4. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र बनेगांव में 20 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-140 लाख रु.
5. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र सलीमनाबाद में 20 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-145 लाख रु.
6. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र मण्डला में 20 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-343 लाख रु.
7. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र उमरिया में 20 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-159 लाख रु.
8. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र इच्छावर में 20 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-158 लाख रु.

(ii) 220 केवी फीडर बे :-

जुलवानिया-400 (2), बदनावर-400 (2), धार-220 (2), मारुत शक्ति पूल-220 (2), नीमच (2), स्विचिंग रतलाम (3), दालोदा (1), राजगढ़ (ब्यावरा) (2), बडोड़ (2), बैतूल (2) कुल 20 नम्बर अनुमानित लागत 4270.00 लाख रु.

(iii) 132 केवी फीडर बे :-

पांसेमल (2), सेंधवा (2), गुडगाँव (2), कानवन-(2), पेटलावद (1), झाबुआ (2), मेघनगर (1), राजगढ़ (धार) (2), आलोट (1), सीतामऊ (1), सैलाना (2), मऊरांज (1), सीधी (1), मैहर (1), अमरपाटन (1), बिरसिंगपुर (1), शहडोल (1), सुसनेर (2), नलखेड़ा (3), आगर (5), माकडोन (3), जारदा (3), जीरापुर (1), तराना (1), मोमनबड़ोदिया (1), महीदपुर (1), आष्टा 220 (1), इच्छावर (1), सबलगढ़ (1), विजयपुर (1), रतनगढ़ (2), तीसगाँव (2), कुल 52 नम्बर अनुमानित लागत 3907.00 लाख रु.

(V) सीव्हीटी (CVT) का स्थापना कार्य :

400 केवी एवं 220 केवी उपकेन्द्रों में 220 केवी फीडरों पर तृतीय सीव्हीटी की स्थापना, 394 नग, अनुमानित लागत-1300.00 लाख रु.

(VI) अन्य कार्य :-

1. एरियल वर्क प्लेटफार्म एवं स्केफॉल्डिंग सिस्टम (Aerial Work Platform & Scaffolding System)(AWPS) 1 सेट, अनुमानित लागत-1483.00 लाख रु.
2. इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम (Emergency Restoration System) (ERS) 2 सेट, अनुमानित लागत-5329.00 लाख रु.

(VII) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :

1. श्री कोमल ग्रोवर के जबलपुर स्थित भूखण्ड खसरा नं. 24/1, 24/2 ग्वारीघाट, जबलपुर से 132 के. व्ही. जबलपुर-मनेरी लाइन के लो. क्र. 18 को विघटित करने हेतु इस लाईन का लो. क्रमांक 17 से 19 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई- 1 × 0.17 कि. मी. अनुमानित लागत-10.87 लाख रु.
2. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र पीथमपुर से मेसर्स एस. आर. एफ. लिमिटेड के प्रस्तावित पॉलिस्टर फिल्म निर्माण इकाई, इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर तृतीय, पीथमपुर जिला धार को 5 एमव्हीए अनुबंधित भार विद्युत आपूर्ति करने हेतु 132 के. व्ही., डी. सी. एस. एस. लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1 × 2.54 कि. मी. अनुमानित लागत-1185 लाख रु.
3. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के छिन्दवाड़ा, नैनपुर एवं मण्डला फोर्ट रेल्वे खण्ड के नैरोगेज से ब्राडगेज में प्रस्तावित गेज परिवर्तन के फलस्वरूप 132 के. व्ही. डी. सी. डी. एस. सिवनी-छिन्दवाड़ा लाईन के लो. क्र. 192 से 195 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य लम्बाई-2 × 0.7 कि. मी. अनुमानित लागत-80.47 लाख रु.
4. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के छिन्दवाड़ा, नैनपुर एवं मण्डला फोर्ट रेल्वे खण्ड के नैरोगेज से ब्राडगेज में प्रस्तावित गेज परिवर्तन के फलस्वरूप 132 के. व्ही. डी. सी. डी. एस. सिवनी-पेंच लाईन के लो. क्र. 5 से 9 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य लम्बाई-2 × 1.1 कि. मी. अनुमानित लागत-132.99 लाख रु.
5. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के छिन्दवाड़ा, नैनपुर एवं मण्डला फोर्ट रेल्वे खण्ड के नैरोगेज से ब्राडगेज में प्रस्तावित गेज परिवर्तन के फलस्वरूप 132 के. व्ही. डी. सी. डी. एस. बालाघाट-सिवनी लाईन के लो. क्र. 258 से 262 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2 × 1.4 कि. मी. अनुमानित लागत-135.25 लाख रु.
6. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के छिन्दवाड़ा, नैनपुर एवं मण्डला फोर्ट रेल्वे खण्ड के नैरोगेज से ब्राडगेज में प्रस्तावित गेज परिवर्तन के फलस्वरूप 132 के. व्ही. डी. सी. डी. एस. चौरई लीलो लाईन के लो. क्र. 3 से 5 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2 × 1.2 कि. मी. अनुमानित लागत-114.58 लाख रु.
7. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के छिन्दवाड़ा, नैनपुर एवं मण्डला फोर्ट रेल्वे खण्ड के नैरोगेज से ब्राडगेज में प्रस्तावित गेज परिवर्तन के फलस्वरूप 132 के. व्ही. एस/सी सिवनी-मंडला लाईन के लो. क्र. 12 से 14 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-1 × 0.60 कि. मी. अनुमानित लागत-106.58 लाख रु.
8. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के छिन्दवाड़ा, नैनपुर एवं मण्डला फोर्ट रेल्वे खण्ड के नैरोगेज से ब्राडगेज में प्रस्तावित गेज परिवर्तन के फलस्वरूप 132 के. व्ही. डी. सी. डी. एस. नैनपुर लीलो लाईन के लो. क्र. 2 से 5 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2 × 0.70 कि. मी. अनुमानित लागत-104.39 लाख रु.

9. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के छिन्दवाड़ा, नैनपुर एवं मण्डला फोर्ट रेल्वे खण्ड के नैरोगेज से ब्राडगेज में प्रस्तावित गेज परिवर्तन के फलस्वरूप 220 के. व्ही. डी. सी. डी. एस. सिवनी-छिन्दवाड़ा लाईन के लो. क्र. 87 से 89 के बीच संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2×0.50 कि. मी. अनुमानित लागत-94.06 लाख रु.
10. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र शहपुरा से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतीकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र भितौनी, जिला जबलपुर को 5 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1×5.0 कि. मी. अनुमानित लागत-373.48 लाख रु.
11. इन्दौर विकास प्राधिकरण के आई. डी. ए.-139 स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित 132 के. व्ही. उपकेन्द्र निरंजनपुर, जिला इन्दौर को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु 132 के. व्ही. इन्दौर (जैतपुरा)-इन्दौर (नार्थ-जोन) के एक परिपथ को उपकेन्द्र में लीलो करने हेतु कम्पोजिट मल्टी सर्किट लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-2×0.66 कि. मी. अनुमानित लागत-426.97 लाख रु.
12. रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित विद्युत कर्षण उपकेन्द्र बुधनी को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 4 वायर होशंगाबाद-पवारखेण्डा लाइन के कुछ भाग को उपयोग करते हुये 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1×25.0 कि. मी. अनुमानित लागत-1818.19 लाख रु.
13. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र पेटलावद से मेसर्स समिरन रियलटीज लिमिटेड के ग्राम थान्डला, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ में प्रस्तावित 81.9 मेगावाट पवन उर्जा विद्युत गृह तक 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1×7.0 कि. मी. अनुमानित लागत-462.00 लाख रु.
14. 400 के. व्ही. उपकेन्द्र कटनी से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतीकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र पटवारा (पूर्व में कटनी दक्षिण) जिला कटनी को 5 एम. व्ही. ए. विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाईन का निर्माण जिसमें 132 के. व्ही. कटनी-सलीमनाबाद लाइन का कटनी उपकेन्द्र के समीप विस्थापन भी सम्मिलित है, लम्बाई-1×19.70 कि. मी. अनुमानित लागत-1274.61 लाख रु. (पूर्व प्रकाशन का संशोधन).
15. म. प्र. पूर्व क्षे. वि.वि.कं.लिमि. की 33 के. व्ही. जे-6 फीडर के लोड विभक्तिकरण हेतु प्रस्तावित नवीन 33 के. व्ही. जे-6 द्वितीय फीडर की टावरों से नर्मदा नदी क्रॉसिंग कार्य, लम्बाई-1×0.5 कि. मी. अनुमानित लागत-63.98 लाख रु.

(VIII) कुल अनुमानित लागत : उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग 3067 करोड़ है.

(3) टावर, खम्भे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम, 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खम्भे, तार दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख-रखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के सम्बन्ध में प्राप्त हैं.

(4) एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं.

एस. ए. रिजवी,

मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स)
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर-जबलपुर.

(294-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, मेरा पूर्व नाम गगनप्रीत कौर बड़वाल पिता कवलबीर सिंह था, जो परिवर्तित होकर गगनप्रीत कौर औबेरॉय हो गया है. अतः मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(गगनप्रीत कौर बड़वाल)

(292-बी.)

नया नाम :

(गगनप्रीत कौर औबेरॉय)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, रेणुका पति अनुप मून्दड़ा, निवासी मनासा, जिला नीमच, विवाह के पूर्व अपना नाम रेणुका पिता गोविन्द बिड़ला प्रयुक्त करती थी किन्तु मेरा विवाह दिनांक 11-06-2015 को हो जाने के उपरांत से मैं, अपना नाम रेणुका पति अनुप मून्दड़ा प्रयुक्त कर रही हूँ तथा इसी नाम से जानी पहचानी एवं सम्बोधित की जा रही हूँ। मुझे भविष्य में रेणुका बिड़ला के स्थान पर रेणुका मून्दड़ा के नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(रेणुका बिड़ला)

(293-बी.)

नया नाम :

(रेणुका मून्दड़ा)

नाम परिवर्तन

यह सूचना इस आशय के लिए प्रकाशित कराई जा रही है कि पासपोर्ट कार्यालय द्वारा मेरा पासपोर्ट पूर्व में नीरज कुमार शिवकुमार अग्रवाल के नाम से जारी किया गया था। मेरे इस पासपोर्ट की अवधि दिनांक 28-08-2016 को समाप्त हो रही है। मैं, अब यह घोषणा करता हूँ कि मैं, इसके पश्चात् अपने पूर्व नाम नीरज कुमार शिवकुमार अग्रवाल के स्थान पर नीरज कुमार अग्रवाल के नाम का ही उपयोग करूंगा। मुझे नीरज कुमार अग्रवाल के नाम से ही जाना जाये।

पुराना नाम :

(नीरज कुमार शिवकुमार अग्रवाल)

(295-बी.)

नया नाम :

(नीरज कुमार अग्रवाल)

फेस-1, गेल विजयपुर, पो. विजयपुर,
तहसील राधोगढ़, जिला गुना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम IBRAHIM था, जो कि अब उपनाम लगाकर IBRAHIM MANSURI हो गया है। अतः अब से मुझे मेरे नये नाम इब्राहिम मंसूरी (IBRAHIM MANSURI) से ही लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(इब्राहिम)

(IBRAHIM)

(299-बी.)

नया नाम :

(इब्राहिम मंसूरी)

(IBRAHIM MANSURI)

म. नं. 21, घोसी मोहल्ला गरोठ,
जिला-मंदसौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि विवाह के पूर्व मैं, संतोश्री पिता रमेशचन्द्र शिन्दे के नाम से जानी एवं पहचानी जाती थी, मेरा विवाह होने के पश्चात् मेरे ससुराल की सामाजिक रीति अनुसार मेरा नाम परिवर्तन कर साक्षी देवरे रख दिया गया और मैं साक्षी देवरे के नाम से जानी एवं पहचानी जाने लगी, किन्तु कुछ समय पश्चात् मेरा विवाह बिच्छेद हो जाने के कारण अब मैंने अपना पूर्ववत् नाम संतोश्री पिता रमेशचन्द्र शिन्दे यथावत् रख लिया है, इस कारण भविष्य में अब मुझे संतोश्री पिता रमेशचन्द्र शिन्दे के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे तथा समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, निजी एवं सार्वजनिक दस्तावेजों में भी मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे। सूचित हो।

पुराना नाम :

(साक्षी देवरे)

(300-बी.)

नया नाम :

(संतोश्री)

पिता रमेशचन्द्र शिन्दे,
55, सुभाष मार्ग, धार (म.प्र.).

NOTICE**U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that the firm "M/s ANANT UTSAV FOUNDATION COMPANY " of Bhopal vide Registration No. 01/03/02/00197/08, Date of Registration 29-01-2008 undergone the following changes:-

1. That Shri Rakesh Upadhyaya S/o Shri Ramswaroop Upadhyaya have expressed his desire to retire from the Partnership Firm w. e. f. 17-11-2014.

"M/s ANANT UTSAV FOUNDATION COMPANY "

VINOD PATIDAR,

(Partner)

H. No. 2, Simrai Mandeep,

Distt. Raisen (M.P.).

(296- B.)

आम सूचना**भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि फर्म प्रशान्त इलेक्ट्रिकल्स भोपाल पंजीयन क्रमांक 38, दिनांक 13-06-1997 फर्म की भागीदारी से दिनांक 31-03-2016 को 4 भागीदार स्वेच्छा से निकल गये हैं—

1. श्री विशाल दरयानी आत्मज स्व. श्री जयराम दरयानी.
2. श्रीमती प्रिया वी. दरयानी पत्नि श्री विशाल दरयानी.
3. श्री मनीष दरयानी आत्मज श्री विशाल दरयानी.
4. श्रीमती दिव्या दरयानी पत्नि श्री मनीष दरयानी.

कारोबार के प्रमुख स्थान में परिवर्तन किया गया है. फर्म का पुराना पता डी-149, फिरदौस नगर बैरसिया रोड, भोपाल था. अब भविष्य में दिनांक 01-04-2016 से वर्तमान पता-शॉप नं. 06, फर्स्ट फ्लोर, शाह बिल्डिंग हमीदिया रोड, भोपाल पिन-462001. पता पर फर्म प्रशान्त इलेक्ट्रिकल्स का कार्यालय संचालित रहेगा.

फर्म-प्रशान्त इलेक्ट्रिकल्स

प्रशान्त दरयानी,

(मैनेजिंग पार्टनर).

(297-बी)

NOTICE**NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given for public information that Smt. Indira Sachdev W/o Late Shri Sawanmal Sachdev, who has been partner in firm M/s KUNDANMAL SUGNOMAL, 3/2, MALHARGANJ, INDORE (M.P.) vide regn. No. 1339/69-70, dated 14-11-1969 year 1969-70 has expired on 01-06-2016 and Smt. Heena Sachdev W/o Shri Chandan Sachdev has been admitted as partner in the firm as from 1st day of June 2016 and the constitution of the firm stands altered accordingly.

For-M/s KUNDANMAL SUGNOMAL

CHANDAN SACHDEV

(Partner).

(298- B.)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक खेड़ापति हनुमान मंदिर एवं संत सुन्दरदास ट्रस्ट, पता-51/2/2, खण्डेलवाल नगर, नवलखा, इन्दौर तर्फे आवेदक

श्री अनिल पिता स्व. श्री गिरधारीलाल खण्डेलवाल अन्य-7, के द्वारा खेड़ापति हनुमान मंदिर एवं संत सुन्दरदास ट्रस्ट, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	खेड़ापति हनुमान मंदिर एवं संत सुन्दरदास ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय पता-51/2/2, खण्डेलवाल नगर, नवलखा, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	अचल सम्पत्ति निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति में रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख मात्र है).

आज दिनांक 04 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(607)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक महेश पिता श्री छत्रसालजी पाठक अन्य-4, पता-17, सोमनाथ की जुनी चाल, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा श्रीमती बूदाबाई पाठक, धार्मिक परमार्थिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट, इन्दौर, कार्यालय पता-17, सोमनाथ की जुनी चाल, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्रीमती बूदाबाई पाठक धार्मिक, परमार्थिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट, इन्दौर.
पता	:	कार्यालय-17, सोमनाथ की जुनी चाल, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	अचल सम्पत्ति निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति निरंक है.

आज दिनांक 12 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(607-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री विश्व विनायक पारमार्थिक ट्रस्ट, पता-123, केदार नगर, छोटा बांगड़दा, इन्दौर तर्फे अध्यक्ष/सचिव श्री राकेश ठाकुर पिता श्री बाबूसिंह ठाकुर, पता-109-सी, संगम नगर, इन्दौर अन्य-12 द्वारा श्री विश्व विनायक पारमार्थिक ट्रस्ट, कार्यालय पता-123, केदार नगर, छोटा बांगड़दा, इन्दौर का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री विश्व विनायक पारमार्थिक ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय पता-123, केदार नगर, छोटा बांगड़दा, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान में अचल सम्पत्ति में शीतलेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर 115-सी, संगम नगर, इन्दौर के अध्यक्ष श्री अशोक वर्मा पिता श्री गुलाबचन्द वर्मा, निवासी-18, कसेरा बाजार, इन्दौर (जो इस ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित ट्रस्टी होंगे) के मालकी व कब्जे की सर्वे नम्बर 314 पैकि छोटा बांगड़दा, केदार नगर, इन्दौर के सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर निर्मित मंदिर "विश्व विनायक धाम" (गणेशजी व रिद्धी-सिद्धि) 50 बाय 100 फीट देखरेख, सुचारु संचालन, मेंटेनेंस वगैरा करना है. इस भू-खण्ड की मालकी संस्था ने अपने पास ही रखी है.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति में —रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) है.

आज दिनांक 12 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(607-B)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री श्वेताम्बर जैन तपागच्छ उपाश्रय ट्रस्ट, कार्यालय 4/2, रेसकोर्स रोड, इन्दौर (म.प्र.) की ओर से श्री प्रकाश पिता श्री लालचंद बंगानी, निवासी 12/1, न्यू पलासिया, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री श्वेताम्बर जैन तपागच्छ उपाश्रय ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय-4/2, रेसकोर्स रोड, इन्दौर (म.प्र.) .
अचल सम्पत्ति	:	श्री श्वेताम्बर जैन तपागच्छ उपाश्रय ट्रस्ट, कार्यालय पता-4/2, रेसकोर्स रोड इन्दौर के नाम से न्यू मकान नंबर 4/2 (चार बटा दो) एवं पुराना नम्बर 55 (पचपन) के ब्लॉक नम्बर-2-ए (दो-ए) के उत्तर की ओर के भू-खण्ड क्रमांक-4 (चार) पर निर्मित है.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- (रु. ग्यारह हजार मात्र).

आज दिनांक 22 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

(607-C)

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, गोहलपुर, जबलपुर

रा.प्र.क्र.02/बी-113/4/15-16.

जारी, दिनांक 04 अगस्त, 2016

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 (ब) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 धारा-4 (ब) के अंतर्गत]

चूंकि आवेदक पंच ज्योति, काली संस्थान ट्रस्ट, जबलपुर के द्वारा अध्यक्ष, श्री सुधीर दुबे पिता स्व. बालकृष्ण दुबे, निवासी 381, त्रिमूर्ति नगर, जबलपुर एवं अन्य न्यासियों, सदस्यों की ओर से आवेदन-पत्र अंतर्गत 1951 की धारा-4 (ब) के तहत लोक न्यास के कथा एवं पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 09 सितम्बर, 2016 को विचार के लिए नियत किया गया है। कोई भी व्यक्ति न्यास व सम्पत्ति में हित रखता हो, उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक 1 माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : पंच ज्योति, काली संस्थान ट्रस्ट, जबलपुर.
2. चल सम्पत्ति : 11,000/-
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

(608)

मुनीष सिंह सिकरवार,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, बण्डा, जिला सागर

प्र.क्र. /बी-113/वर्ष 2015-16.

बण्डा, दिनांक 29 जुलाई, 2016

मौजा-सलैयाबिनैका, तहसील बण्डा,
जिला सागर.

क्र.क/1768/रीडर-1/2016.—सर्व-साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है, कि आवेदक धीरजसिंह पिता पंचमसींग राजपूत, निवासी- ग्राम-सलैयाबिनैका, तहसील बण्डा, जिला सागर मध्यप्रदेश के द्वारा मौजा ग्राम-सलैयाबिनैका प. ह. नं.-35, तहसील-बण्डा में स्थित श्रीदेव महावीर जी मंदिर मुह. ईश्वरीप्रसाद पिता मूलचंद, पंचमसींग पिता देवसींग, भबूदसींग पिता गुलाबसींग, मानसींग पिता व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय सागर के नाम ख. नं.-295 रकवा-3.09 हे. एवं मौजा सलैया-बिनैका में स्थित श्री देव महावीर जी साकिन देह मुह. कन्छेदी पिता नंदकिशोर, व्यवस्थापक कलेक्टर सागर के नाम ख. नं.-163, 303, 371 रकवा-0.06, 0.33, 0.48 कुल रकवा-0.87 हे. दर्ज है। आवेदक द्वारा स्व. ईश्वरीप्रसाद, स्व. पंचमसींग, स्व. भबूदसींग, स्व. मानसींग एवं स्व. कन्छेदी के पूर्व मुहत्तम की मृत्यु करीब लगभग-15-20 वर्ष पूर्व हो जाने के फलस्वरूप आवेदक स्वयं को मुहत्तमकार एवं नवीन मंदिर कमेटी का गठन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। नवीन मंदिर कमेटी का विवरण इस प्रकार है कि :-

क्र.	प्रस्तावित नाम	पता	पदनाम
1.	श्री राधेश्याम पिता, स्व. ईश्वरीप्रसाद रावत	ग्राम-काँटी, तहसील बण्डा	अध्यक्ष/मुहत्तमकार
2.	धीरजसिंह पिता स्व. पंचमसिंह राजपूत	ग्राम-सलैयाबिनैका, तहसील बण्डा	उपाध्यक्ष
3.	खेतसिंह पिता स्व. लटकनसिंह लोधी	ग्राम-सलैयाबिनैका, तहसील बण्डा	सचिव
4.	पूरनसिंह पिता स्व. भबूदसिंह लोधी	ग्राम-सलैयाबिनैका, तहसील बण्डा	कोषाध्यक्ष
5.	रमेश पिता स्व. कन्छेदी शुक्ला	ग्राम-काँटी, तहसील बण्डा	सदस्य
6.	श्री रगवीर सिंह पिता स्व. थानसिंह लोधी	ग्राम-सलैयाबिनैका, तहसील बण्डा	सदस्य

जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो या अपना सुझाव देना चाहते हों तो वह अपनी लिखित आपत्ति या सुझाव इस न्यायालय में पेशी दिनांक 17 अगस्त, 2016 को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने-अपने वैध अधिकृत व्यक्ति/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति या सुझाव को स्वीकार नहीं किया जावेगा.

इशतहार आज दिनांक 27 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

जारी दिनांक 27 जुलाई, 2016

पेशी दिनांक 17 अगस्त, 2016.

(609)

बी. बी. पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय तहसीलदार क्षेत्र लामता, जिला बालाघाट

रा.प्र.क्र. /बी-113/वर्ष 2015-16.

रा.नि.म.-लामता, तहसील व जिला-बालाघाट.
मौजा-लामता.

आम जनता ग्राम-लामता को सूचित किया जाता है, कि आवेदक अध्यक्ष, विशाल नाईक पिता स्व. श्री सत्येन्द्र सिंह नाईक वार्ड नं. 11, बूटी रोड लामता, जिला बालाघाट, सचिव श्री विनीत कुमार नामदेव पिता श्री द्वारका प्रसाद नामदेव सह सदस्यों द्वारा संकट मोचन हनुमान मंदिर, ट्रस्ट लामता के मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत ट्रस्ट के पंजीकरण हेतु ग्राम-लामता में स्थित भूमि का खसरा नं. 101/1, में स्थित 1 एकड़ 80 डिसमिल भूमि का पंजीयन हेतु न्यायालय में आवेदन-पत्र मय बायलॉज एवं राशि रु. 250 का बैंक चालान, साथ ही आय-व्यय का ब्यौरा सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया है.

उक्त पंजीकरण हेतु किसी नागरिक द्वारा किसी भी तरह की आपत्ति या दावा प्रस्तुत कराना या हित रखना चाहता है तो वह अपने आवेदन सहित स्वयं या अपने वैध प्रतिनिधि के द्वारा माननीय न्यायालय, तहसीलदार क्षेत्र कार्यालय लामता में उपस्थित हो कर पेश कर सकता है, जो कि उद्घोषणा दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 से पेशी दिनांक 15 जनवरी, 2016 के भीतर ही दावा या आपत्ति पेश कर सकते हैं. इसके पश्चात् अवधि पूर्ण होने के उपरांत किसी भी प्रकार की दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा.

उद्घोषणा मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जारी दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

पेशी दिनांक 11 मार्च, 2016.

(610)

एस. आर. वर्मा,
तहसीलदार.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, आगर, जिला आगर-मालवा

रा.प्र.क्र.01/बी-113/2015-16.

आगर, दिनांक 03 अगस्त, 2016

प्ररूप क्र.-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक आगर, जिला आगर-मालवा के समक्ष.

आवेदक मनीष पिता बाबूलाल मारू, जाति जैन. निवासी आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 03 सितम्बर, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखे हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम : श्री बावडी हनुमान मंदिर ट्रस्ट, आगर-मालवा. वर्तमान में न्यास की अचल सम्पत्ति में एक भवन बडा तालाब के पास हत्यारी बावडी पर है. चल-अचल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य 1100/- (रुपये एक हजार एक सौ मात्र) रुपये नगदी.

मिलिंद ढोके,
पंजीयक.

(611)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाटीज, जिला धार**

धार, दिनांक 30 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/954.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/1291, धार, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उटावद, तहसील मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) जिसका पंजीयन क्रमांक 1226, दिनांक 29 मार्च, 2007 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एल. पंवार, पर्यवेक्षक दुग्ध संघ, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक/परि./2015/1016, धार, दिनांक 04 जुलाई, 2015 द्वारा श्री ओ. पी. राठौर, विस्तार पर्यवेक्षक धामनोद (दुग्ध संघ) को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री ओ. पी. राठौर, विस्तार पर्यवेक्षक धामनोद (दुग्ध संघ) द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99, पन्ड्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उटावद, तहसील मनावर, जिला धार मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(592)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

माही माता महिला औद्यो. सह. मर्या., छोटीगेहन्डी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 1103, दिनांक 20 फरवरी, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/281, दिनांक 03 जुलाई, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, जी. एल. बडोलें, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्ड्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 25 जुलाई, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593)

आदिवासी बीज उत्पा. सह. मर्या., झाबुआ, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ, पंजीयन क्रमांक 977, दिनांक 06 जुलाई, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/213, दिनांक 18 मार्च, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, जी. एल. बडोलें, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 25 जुलाई, 2016 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जी. एल. बडोलें,
उप-पंजीयक.

(593-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 09 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1)के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/494.—निम्नानुसार सूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित सहकारी संस्थाओं को अधिनियम की धारा-69 (3) अन्तर्गत उनके समक्ष कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित जारी कार्यालयीन सूचना-पत्रों के द्वारा संस्था हित के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिये कार्य करने, उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रहने, अधिनियम/नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने, संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाने, संस्था के वित्तगत वर्षों से अकार्यशील रहने एवं प्रावधानों के अनुरूप नियत समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन में असफल रहने के कारणों के आधार पर सूचना-पत्र जारी किया जाकर तीन सप्ताह में जवाब चाहा गया था. किन्तु उक्त संस्थाओं द्वारा आज दिनांक तक जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकारी जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए सूची में उल्लेखित संस्थाओं को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुये अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उनके समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित विभागीय कार्यपालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को उनका समापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	सूचना पत्र का क्रमांक व दिनांक	समापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., भेलकी	1233/11-11-2010	298/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
2.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., तितिरा शुक्लान	1354/18-10-2011	299/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
3.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., गडरहाप्रतिपाल सिंह	1358/26-12-2011	300/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
4.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., डढ़िया	1359/11-01-2012	301/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
5.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., मलदेवा	1360/10-04-2012	302/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.

1	2	3	4	5
6.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., पावा	1361/21-08-2012	303/22-04-216	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
7.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., कपुरी कोठार	1372/20-10-2014	305/22-04-216	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
8.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., मऊ	1152/31-08-2010	306/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
9.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., नैकिन (चौधरी टोला)	1154/31-08-2010	307/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
10.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., हर्दिहा पवाई	1159/01-09-2010	308/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
11.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., भितरी (डाड़ीटोला)	1125/19-04-2010	310/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
12.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., गड़रहा	1150/31-08-2010	311/22-04-2016	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
13.	बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., खिरखोरी	1368/31-05-2014	329/22-04-2016	श्री एम. के. आगाशे, उप-अंकेक्षक.
14.	बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., धनखोरी	1369/31-05-2014	330/22-04-2016	श्री एम. के. आगाशे, उप-अंकेक्षक.
15.	बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., पटौहा	1370/31-05-2014	331/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
16.	बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., बडखरा 734	1371/31-05-2014	332/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 09 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(594)

सीधी, दिनांक 09 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1)के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/441.—निम्नानुसार सूची के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित सहकारी संस्थाओं को अधिनियम की धारा-69 (3) अन्तर्गत उनके समक्ष कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित जारी कार्यालयीन सूचना-पत्रों के द्वारा संस्था हित के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिये कार्य करने, उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रहने, अधिनियम/नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने, संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाने, संस्था के वित्तगत वर्षों से अकार्यशील रहने एवं प्रावधानों के अनुरूप नियत समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन में असफल रहने के कारणों के आधार पर सूचना-पत्र जारी किया जाकर तीन सप्ताह में जवाब चाहा गया था. किन्तु उक्त संस्थाओं द्वारा आज दिनांक तक जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए सूची में उल्लेखित संस्थाओं को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुये अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उनके समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित विभागीय कार्यपालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को उनका समापक नियुक्त करता हूँ :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	सूचना पत्र का क्रमांक व दिनांक	समापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	नूतन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सीधी	385/02-03-1981	297/22-04-2016	श्री एस. पी. मांझी, अंकित अधिकारी.

1	2	3	4	5
2.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., कठास	1364/26-09-2013	304/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
3.	बुनियादी प्रशिक्षण सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सीधी	375/15-03-1977	312/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
4.	सरस्वती महिला दरीबुनकर सहकारी समिति मर्या., सपही	1109/22-07-2009	313/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
5.	हरीजन आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या., भरतपुर	476/24-03-1988	315/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
6.	विकास महिला दरी बुनकर सहकारी समिति मर्या., करुईखांड	1365/25-02-2014	316/22-04-2016	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
7.	डाढी उद्योग सहकारी समिति मर्या., भितरी	1036/02-11-2006	317/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
8.	महिला सिलाई बुनाई कढाई सहकारी समिति मर्या., सेमरिया	712/13-11-1995	318/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
9.	भारती सिलाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., चदैनिया	1097/12-05-2009	319/22-04-2016	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
10.	आदर्श मछली पालन उद्योग सहकारी समिति मर्या., पड़रा	1087/30-09-2008	321/22-04-2016	श्री एस. पी. मांझी, अंकेक्षण अधिकारी.
11.	आदर्श मत्स्य सहकारी समिति मर्या., वकवा	1088/30-09-2008	322/22-04-2016	श्री बी. के. सोंधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.
12.	महान सागर मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., मोहनी	1155/01-09-2010	323/22-04-2016	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
13.	आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., कोचिला	1340/23-03-2011	324/22-04-2016	श्री मदन सिंह उईके, वरि. सह. निरी.
14.	आदिवासी पिछड़ा वर्ग मछली पालन सहकारी समिति मर्या. ताला.	718/03-08-1996	326/22-04-2016	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
15.	क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., डेम्हा	1026/07-03-2006	327/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
16.	माँ दशोमति वनौषधि उत्पादन प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., कुबरी.	1025/07-12-2005	328/22-04-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. सोनकुसरे,
उप-रजिस्ट्रार.

(594-A)

कार्यालय जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मुरैना

मुरैना, दिनांक 27 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./विधि/लेखा/322.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मुरैना जिसका पंजीयन क्रमांक/एम. आर.एन./

एच.ओ./82, दिनांक 14 मार्च, 1962 है, को संयुक्त आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, चंबल संभाग मुरैना आदेश क्र./परि./2016/213, दिनांक 18 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

विनोद कुमार शर्मा,
परिसमापक.

(597)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

वैष्णवी प्राथमिक उप. भण्डार सहकारी भण्डलेश्वर,

पो. मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन.

वैष्णवी प्राथमिक उप. भण्डार सहकारी भण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1513, दिनांक 05 मई, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है :-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क., बी/ख., सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, तथा कथित आरोप आपको स्वीकार है, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(595)

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2016-श्रावण 28, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 04 मई 2016

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के पन्ना, सागर, जबलपुर, मण्डला जिलों को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील पन्ना (पन्ना), सागर, रेहली (सागर), जबलपुर (जबलपुर), विछिया, मण्डला (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.— जिला खरगौन, बड़वानी, सीहोर, सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला सीधी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, सिंगरौली, नीमच, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, डिण्डोरी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 04 मई 2016

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुँरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह				
2. पोरसा				
3. मुँरैना				
4. जौरा				
5. सबलगढ़				
6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर				
2. कराहल				
3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर				
2. भिण्ड				
3. गोहद				
4. मेहगांव				
5. लहार				
6. मिहोना				
7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग, तुअर, मूँगफली, गेहूँ, चना, सरसों. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. ग्वालियर				
2. डबरा				
3. भितरवार				
4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, मसूर, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा				
2. दतिया				
3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी				
2. पिछोर				
3. खनियाधाना				
4. नरवर				
5. करैरा				
6. कोलारस				
7. पोहरी				
8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ईसागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	..		4. (1) तिल अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. पन्ना	1.0		अलसी, मसूर, मटर, आलू प्याज.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..		(2) ..		
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		कम.		
4. सागर	2.7		(2) ..		
5. रेहली	5.0				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगावां	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..		4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		कम. मसूर, अलसी, राई-सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		समान.		
4. हनुमना	..		(2) ..		
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोहागपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ब्यौहारी	..		(2) ..		
3. गोहपारु	..				
4. जैसिंहनगर	..				
5. बुढार	..				
6. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) चना अधिक. राहर, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	..		(2) ..		
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. बांधवगढ़	..		4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		राई-सरसों, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	..		(2) ..		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) चना, अलसी, राई, सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर, अधिक. गेहूँ, चना कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मूंग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
*जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
*जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
*जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक. कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
*जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपालगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
*जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. हुजूर	..		(2) ..		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ मटर, मसूर, अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड़द, मूंग कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	1.6				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूंग, चना, मटर, मसूर, अधिक. तुअर कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	1.0				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	1.6				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख तिवड़ा, उड़द, मूंग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप. — *जिला शहडोल, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, इन्दौर, भोपाल, बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.